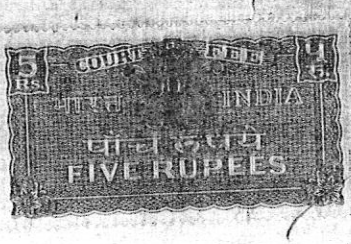

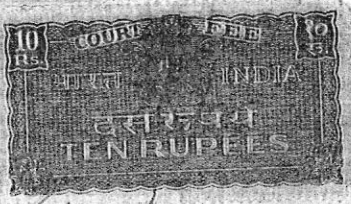

COURT FEE 5 Rs. INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 10 Rs. INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(103)

R 2297-PBR/98

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /९८ निगरानी

कुंजनप्रसाद पुत्र रामाधार पाठक,
निवासी ग्राम पतुलखी,तहसील सिहावली
जिला सीधी,म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

१। [illegible] महिला संस्कीरति देवी
पत्नी भूपनारायण शुक्ल पुत्री रामचन्द्र
निवासिन ग्राम महुअरिया,तहसील
सिहावल, जिला सीधी,म०प्र०

२। रमाकान्त पुत्र लक्ष्मीचन्द पाठक,
निवासीग्राम पतुलखी,तहसील सिहावल
जिला सीधी(म०प्र०

३। मध्यप्रदेश शासन -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय,म०प्र० ग्वालियर दिनांक १६-८-९८ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्रमांक ५०।९२-९३ अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

।१। यहकि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सहीनहीं है ।

।२। यहकि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय ने तथ्यों के संबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के एक मत निर्णयों को निरस्त करने में कानूनी एवम तथ्यात्मक भूल की है ।

।३। यहकि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय ने विवादित आ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2297–पीबीआर/1998 निगरानी जिला– रीवा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/7/17	अनावेदक महिला संस्कीरति देवी पत्नि भूपनारायण शुक्ल की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व होना बताते हुये अनावेदक के अभिभाषक ने वारिसान की जानकारी आवेदक अथवा आवेदक के अभिभाषक व्दारा समय पर न दिये जाने के आधार पर निगरानी Abate होने के आधार पर निरस्त करने की मांग करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उभय पक्ष को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक महिला संस्कीरति देवी वाहर रहती थीं, जिसके कारण उनके पक्षकार को महिला संस्कीरति देवी की मृत्यु की जानकारी नहीं हो सकी है। यह अनावेदक के अभिभाषक का भी दायित्व है कि जब उन्हें 6 वर्ष से अनावेदक महिला संस्कीरति देवी की मृत्यु का पता है तब उन्हें न्यायालय में जानकारी दे देना थी किन्तु वह छै वर्ष तक महिला संस्कीरति देवी की मृत्यु होना छिपाये रखे हैं एंव छै वर्ष वाद निगरानी निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि यह दायित्व निगरानीकर्ता का है कि वह गैरनिगरानीकर्ता के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित जानकारी न्यायालय के संज्ञान में लाये। वैसे भी दीवानी न्यायालय से आवेदक मुकदमा हार चुका है एंव दीवानी न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है इसलिये निगरानी निरस्त की जाकर दीवानी न्यायालय के आदेश का पालन कराया जावे। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीधी के न्यायालय में वाद कमांक 195–ए/2013 दायर किया था जो दावा अप्रमाणित रहने से आदेश दिनांक 29–4–14 से निरस्त हुआ। इस आदेश के विरूद्व	

आवेदक ने मान0 जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय में सिविल अपील कमांक 25 ए/2014 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 27 जून 2016 से निरस्त हुई है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में गुणदोष पर विचार करना संभव नहीं है क्योंकि मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है।

4/ जहॉ तक माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेशों के अमल करने प्रश्न है। अनावेदक तहसील न्यायालय में तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त कारणों से निगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य